न्यायालय जिला कलक्टर, बारां (राजस्थान)

पीठासीन अधिकारी–इन्द्र सिंह राव (आई0ए0एस0)

प्रकरण संख्या– 90/2018

बउनवान

रमेशचन्द आयु 48 साल पुत्र श्री गोपीलाल जाति–मीणा निवासी–तिसाया तहसील मॉगरोल, जिला–बारां (राज.) **(अपीलांट)**

बनाम

राजस्थान सरकार जर्ये नायब तहसीलदार,सीसवाली **(रेस्पोंडेंट)**

अपील धारा–75 भू राजस्व अधिनियम,1956

उपस्थिति :–1. श्री अरविन्द सिंह हाडा, अभिभाषक **(अपीलांट)**

2. पेरोकार सरकार **(रेस्पोंडेंट)**

निर्णय दिनांक– 08.07.2019

अपीलांट ने जर्ये अभिभाषक अधीनस्थ न्यायालय नायब तहसीलदार, सीसवाली के आदेश दिनांक 16.03.2018 से अप्रसन्न होकर अपील, धारा–75 भू राजस्व अधिनियम,1956 के तहत प्रस्तुत कर अपील में अंकित किया है कि अधीनस्थ न्यायालय ने उसे ग्राम तिसाया, तहसील–मॉगरोल की आराजी खसरा नम्बर 206/1122 रकबा 0.42 हैक्टर किस्म–नहरी I पर अतिक्रमी मानकर बेदखली, 962/–रूपये अर्थदण्ड एंव 30 दिन के सिविल कारावास की सजा से दंडित किया गया है।

अपील में लिखा है कि अधीनस्थ न्यायालय का निर्णय पत्रावली पर उपलब्ध साक्ष्यो एवं तथ्यों के विपरीत होने से निरस्त किये जाने योग्य है। अधीनस्थ न्यायालय ने अपीलांट को सुनवाई एवं साक्ष्य प्रस्तुत करने का कोई अवसर नहीं दिया है, ना हीं कभी बेदखल किया है। बेदखलीनामा पत्रावली में नहीं है। ना हीं स्वतंत्र गवाहान की साक्ष्य ली गयी है। अधीनस्थ न्यायालय का निर्णय नितान्त असत्य तथ्यों पर आधारित होने से निरस्त किये जाने योग्य है। अपीलांट का उक्त आराजी पर कोई कब्जा नहीं है, ना हीं सरकारी तावान राशि बकाया है। भूमि खाली पडी हुयी है। अतः अपीलांट की अपील स्वीकार की जाकर अधीनस्थ न्यायालय नायब तहसीलदार, सीसवाली का निर्णय दिनांक 16.03.2018 निरस्त फरमाया जावे।

इस पर प्रकरण दर्ज रजिस्टर किया जाकर रेस्पोंडेंट को जर्ये सम्मन तलब किया तथा अधीनस्थ न्यायालय से मौका रिपोर्ट व मूल रेकार्ड तलब किया गया। अपील में मौका रिपोर्ट प्राप्त होने पर विद्वान अभिभाषक अपीलांट व पेरोकार सरकार की बहस सुनी गयी।

बहस के दौरान विद्वान अभिभाषक अपीलांट ने अपील में अंकित तथ्यों को दोहराते हुए निवेदन किया कि अधीनस्थ न्यायालय ने अपीलांट को सुनवाई व जवाबदेही का कोई अवसर नही देकर एकतरफा निर्णय पारित किया है। विवादित आराजी पर अपीलांट का कोई अतिक्रमण नहीं है, उक्त आराजी से कब्जा छोड रखा है। वर्तमान में उक्त आराजी पडत पडी हुई है। इस संबंध में नायब तहसीलदार, सीसवली की भी मौका

रिपोर्ट प्राप्त हुयी है जिसमें स्पष्ट अंकित है कि उक्त आराजी पर अपीलांट का कोई कब्जा नहीं है तथा अपीलांट उक्त आराजी पर भविष्य में कभी अतिचार नहीं करने के लिये वचनबद्ध भी है। साथ ही निवेदन किया कि अधीनस्थ न्यायालय ने अपीलांट को पश्चात्वर्ती मानकर सजायाब किया है कि जबकि पत्रावली में कोई पश्चात्वर्ती बाबत दस्तावेजात् नहीं है ना हीं कोई स्वतंत्र गवाहान के बयान व पूर्व बेदखलीनामा है। अधीनस्थ न्यायालय ने अपीलांट के विरूद्व एकपक्षीय निर्णय पारित करने में कानूनी भूल की है। अतः अपीलांट की अपील स्वीकार की जाकर अधीनस्थ न्यायालय का निर्णय दिनांक 16.03.2018 निरस्त फरमाया जावे।

इसके विपरीत पेरोकार सरकार ने अपीलांट के कथन का खण्डन करते हुये निवेदन किया कि अधीनस्थ न्यायालय ने अपीलांट को विधिवत सुनवाई का समुचित अवसर प्रदान कर उक्त निर्णय पारित किया है। अपीलांट विवादित आराजी पर पश्चात्वर्ती अतिक्रमी रहा है। अधीनस्थ न्यायालय द्वारा अपीलांट को पूर्व में अतिचार करने पर मिसल नम्बर 286/17 निर्णय दिनांक 14.03.2017 से बेदखल किया गया है। अतः अपील खारिज फरमायी जावे।

हमने विद्वान अभिभाषक अपीलांट व पेरोकार सरकार की बहस सुनी तथा पत्रावली पर उपलब्ध रेकार्ड का आद्योपांत अवलोकन किया। इससे पाया जाता है कि अधीनस्थ न्यायालय में अपीलांट को विधिवत सुनवाई का समुचित अवसर प्रदान कर निर्णय पारित किया है। किन्तु बहस के दौरान अभिभाषक अपीलांट का कथन रहा है कि उसने उक्त आराजी से कब्जा छोड दिया है व भविष्य में अतिक्रमण नहीं करने के लिये वचनबद्ध है तथा नायब तहसीलदार, सीसवाली से भी मौका रिपोर्ट प्राप्त हुयी है कि उक्त आराजी पर वर्तमान में अपीलांट का कब्जा काश्त नहीं है। ऐसी स्थिति में अपीलांट के प्रति सहानुभूति का रूख अपनाते हुये सशर्त सजा माफ किया जाना उचित समझते है।

परिणामस्वरूप, अपीलांट की अपील आंशिक स्वीकार की जाकर, अधीनस्थ न्यायालय नायब तहसीलदार, सीसवाली द्वारा पारित बेदखली एंव शास्ति के दण्ड को यथावत रखा जाता है। अधीनस्थ न्यायालय द्वारा प्रकरण संख्या 791/18 में पारित निर्णय दिनांक 16.03.2018 दी गयी सिविल कारावास की सजा इस शर्त पर माफ की जाती है कि अपीलांट विवादित आराजी से कब्जा छोड दें तथा नायब तहसीलदार, सीसवाली के समक्ष दो माह में उपस्थित होकर अण्डरटेंकिग पेश कर दे कि उक्त आराजी पर भविष्य में अतिचार नहीं करेंगे व नाबय तहसीलदार, सीसवाली कब्जा छोडने से सन्तुष्ट हो जावे तो अधीनस्थ न्यायालय द्वारा निर्णय दिनांक 16.03.2018 से दी गयी सिविल कारावास की सजा माफ की जाती है, अन्यथा अधीनस्थ न्यायालय नायब तहसीलदार, सीसवाली द्वारा पारित निर्णय दिनांक 16.03.2018 यथावत रहेगा।

निर्णय आज दिनांक 08.07.2019 को सरे इजलास लिखाया जाकर सुनाया गया।

(इन्द्र सिंह राव)
जिला कलक्टर,बारां

Signature Not Verified
Digitally signed by Indra Singh Rao
Date: 2019.08.06 10:16:20 IST
Reason: SelfAttested
Location: